संख्या- 32/2024/491 **/18-4-2024-8(4)/89**

प्रेषक,

दयाराम यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0
कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 09 अगस्त,2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-003 के अंतर्गत उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन (यू0पी0आई0डी0) लखनऊ को क्राफ्ट डिजाइन शैक्षिक संस्थान के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, उ0प्र0 डिजाइन एवं शोध संस्थान लखनऊ के पत्र सं0-73/उ0प्र0डि0संस्थान(ल0)/2024-25 दिनांक 17-07-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 डिजाइन एवं शोध संस्थान लखनऊ को क्राफ्ट डिजाइन शैक्षिक संस्थान के रूप में विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अंतर्गत कुल धनराशि रू0 500.00 लाख प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 02 माहों (अप्रैल,**2024** एवं मई,2024) के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

व्यय वहन हेतु शासनादेश संख्या-320/18-4-2024-8(4)/89**,** दिनांक 16-5-2024 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 83.33 लाख को उक्त् प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से घटाने के फलस्वरूप अवशेष धनराशि रू0 416.67 लाख में से चालू वित्तीय वर्ष के 02 माहों (जून**, 2024** एवं जुलाई**, 2024)** के विभिन्न मदवार व्यय वहन हेतु द्वितीय किस्त के रूप में कुल धनराशि रू**0 83.33** लाख (रू**0** तिरासी लाख तैतीस हजार) मात्र अग्रांकित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने संबंधी वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा राजकोष से आहरित की जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नही हुआ हो रहा है।

(4)स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/डिपार्टमेंट खाता में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य मानको (स्टैण्डर्डस् ऑफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चत किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 (यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी वित्त विभाग तथा सूक्ष्म**,** लघु एवं मध्मय उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

(9) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 प्रयागराज तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(10) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर तथा उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन (यू0पी0आई0डी0) लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-003 के अधीन लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-104-हस्तशिल्प उद्योग-03-क्राफ्ट डिजाइन शैक्षिक संस्थान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) (लेखाशीर्षक 15 डिजिट में 2851-00-104-03-00-20) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-6-70-X-2024-25, दिनांक 08.08.2024 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दयाराम यादव)
अनु सचिव।

संख्या-491 (1)/18-4-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।
2-महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।
3-महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-।)सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।
4- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- निदेशक स्थानीय निधिलेखा परीक्षा उ0प्र0 प्रयागराज।
7- निदेशक, उ0प्र0 डिजाइन एवं शोध संस्थान लखनऊ/ उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ ।
8- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर/लखनऊ।
9-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु0-1, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3
10-उप सचिव(पुष्पेन्द्र सिंह) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन को ऑनलाइन बजट एलाटमेण्ट सिस्टम में प्रविष्टि हेतु ।
11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(दयाराम यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in